राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 145/2024

चुन्नी लाल मेघवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), पाली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.03.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दीपक कनौजिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अपीलार्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2022 हिन्दी विषय अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP) में चयनित कर अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 20.02.2024 जारी कर अपीलार्थी को सम्भाग पाली पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में उदयपुर सम्भाग में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का पदस्थापन उदयपुर सम्भाग में किया जाना चाहिए था।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश के पश्चात् कार्यग्रहण कर लिया गया है। ऐसे में हम पाते है कि आलोच्य आदेश की पालना की जा चुकी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि राज्य सरकार की यह नीति रही है कि पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथा सम्भव एक स्थान पर या निकट के स्थान पर पदस्थापित किया जाए। अपीलार्थी के

अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)